

नगर परिषद, सीकर

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/SIKAR/FIRENOC/2026-27/75263
जारी दिनांक: 25-SEP-2026 वैधता दिनांक: 24-SEP-2028

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: BPS SHIKSHAN SANSTHAN SIKAR THROUGH SECRETARY
SITA DEVI

आवेदक का पता: BPS SHIKSHAN SANSTHAN, SIKAR

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन BHARTIYA SAINIK SCHOOL SIKAR, 1, VPO BHUWALA, BHUWALA, , SIKAR, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्त:-

1. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी दिनांक से वैधता दिनांक तक की अवधि हेतु मान्य है। वैधता दिनांक समाप्ति से 15 दिन पूर्व नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा। समय पर नवीनीकरण नहीं करवाये जाने पर उपयोगकर्ता/आवेदनकर्ता पर रु 5000 का जुर्माना लगाया जा सकता है।
2. भवन के समस्त स्टाफ व सिक्वोरिटी गार्ड्स आदि को वर्ष में कम से कम 02 बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलवाया जाना आवश्यक होगा।
3. अग्निशमन उपकरणों को सदैव कियाशील अवस्था में रखने के साथ साथ निर्धारित समयावधि में रीफिल करवाना होगा।
4. फायर सिस्टम के संचालन एवं उचित रखरखाव हेतु 24 घण्टे प्रशिक्षित कर्मचारी तीन शिफ्टों में रखने अनिवार्य होंगे।
5. रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर कि उंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
6. निरीक्षण के दौरान दिये गये आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
7. भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जावे।
8. अग्निशमन अधिकारीयों द्वारा भवन का निरीक्षण कभी भी किया जा सकता है अग्निशमन उपकरण कियाशील अवस्था में नहीं पाये जाने कि स्थिति में रु 5000 का जुर्माना लगाया जाकर अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त किया जा सकता है।
9. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने के उपरांत भवन या भवन के किसी भाग एवं अग्निशमन उपकरणों में किसी प्रकार का परिवर्तन अग्निशमन विभाग की स्वीकृति के बाद ही किया जा सकता है।
10. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने के बाद यदि भवन में आगजनी की घटना होती है तो उपयोगकर्ता/आवेदनकर्ता पर रु 5000 का जुर्माना लगाया जा सकता है एवं जारी किया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द किया जा सकता है।
11. अग्निशमन वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान भवन के आस पास अवरोध रहित रखना होगा।
12. यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
13. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
14. भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के वाद विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
15. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र रुफटोप रेस्टोरेट के लिए मान्य नहीं हैं। भवन या भवन के जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है वहां पर रुफटोप रेस्टोरेट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।



Digitally signed by LOKESH
KUMAR GOTHAWAL
Designation: DC-EO-COMM.
Date: 2026-09-25 15:51:34 IST
Location: SIKAR, RAJASTHAN

v-2.1

अग्निशमन अधिकारी
नगर परिषद, सीकर